**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

अ**तारांकित प्रश्न संख्या-92**

**जिसका उत्तर** 24 नवंबर**, 2014 को दिया जाना है ।**

**विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य**

**92. श्री देवेंदर गौड टी.:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्ष़ों के दौरान अर्थात् वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों द्वारा प्रति वर्ष मात्र 11,000 मेगावाट क्षमता की ही वृद्धि की गई है;

(ख) इस दर के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में 88,000 मेगावाट क्षमता की वृद्धि के लक्ष्य की पूर्ति किस प्रकार मंत्रालय की करने की योजना है; और

(ग) कोयला ब्लॉकों के रद्द हो जाने के मद्देनजर मंत्रालय की संयंत्रों को कोयला किस प्रकार प्रदान करने तथा 12वीं योजना के लक्ष्य की पूर्ति किस प्रकार करने की योजना है?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) और (ख) :** गत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र विद्युत कंपनियों द्वारा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि इस प्रकार है:

|  |  |
| --- | --- |
| **वर्ष** | **जोड़ी गई क्षमता(मेगावाट)** |
| 2011-12 | 11971 |
| 2012-13 | 11257.5 |
| 2013-14 | 11884 |
| **कुल** | **35112.5** |

क्षमता अभिवृद्धि हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) लक्ष्य 88,537 मेगावाट है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र से 26,182 मेगावाट, राज्य क्षेत्र से 15530 मेगावाट और निजी क्षेत्र से 46,825 मेगावाट शामिल है। 31.10.2014 तक कुल क्षमता अभिवृद्धि लगभग 48,026 मेगावाट है, जो कि लक्ष्य का 54.2% है।

**(ग) :** राष्ट्रीय हित में देश की मांग के अनुसार, कोयला खनन प्रचालनों और कोयले के उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करने और कोयला संसाधनों के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा इससे संबद्ध अथवा इसके अनुषंगिक मामलों के मद्देनजर सफल बोलीदाताओं और आबंटियों को खनन पट्टे के साथ-साथ अधिकार, शीर्षक और हित को निहित करने और कोयला खानों के आबंटन की व्यवस्था करने और इस भूमि पर अधिकार, टाइटिल एवं हिताधिकार प्रदान करने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को कोयला खान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 2014 प्रख्यापित किया गया था।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*